SADA - 2 (4)

रजपुरी, पलाडीडांड, बड़वार, पत्थरगवां, मंझगवां खुर्द, तंजारा, मेण्ड्रा, सोनारी, छिंगुरा को शामिल करते हुए पुनर्गठित सोनहत निवेश क्षेत्र की सीमाएं अनुसूची-दो निर्धारित की जाती है :—

अनुसूची-एक

सोनहत निवेश क्षेत्र में शामिल ग्राम

ग्राम :— जोगिया, कछाड़ी, भगवतपुर, नौगाई, खड़गवां खुर्द, परिहत, रजपुरी, पलाडीडांड, बड़वार, पत्थरगवां, मंझगवां खुर्द, तंजारा, मेण्ड्रा, सोनारी, छिंगुरा.

अनुसूची-दो

सोनहत निवेश क्षेत्र की पुनर्गठित सीमाएं

उत्तर में : ग्राम जामटीकरा, रजौली, पोंडी, परीहत, रजपुरी, अमहर, भुईहारीपारा, सोनहत, मेण्ड्रा, भगवतपुर, मझगवां खुर्द, कछाड़ी, जोगिया एवं पलाडीडांड ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम पलाडीडांड, तंजारा, पत्थरगवां, बसवाही, मधौरा, नौगई एवं बड़वार ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम बड़वार, नौगई, कटगोडी, कुशमहा, पुसला, काचरडांड, बिरौरीडांड, केवराबहरा, चकडांड एवं भट्ठीपारा ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम भट्ठीपारा, रजौली, भैंसवार एवं जामटीकरा ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 4 फरवरी 2020

क्रमांक एफ 7-16/2019/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17-क (1) के अंतर्गत थानखम्हरिया निवेश क्षेत्र जिला बेमेतरा की विकास योजना तैयार करने हेतु समिति का गठन इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28-08-2019 द्वारा किया गया है. उक्त आदेश के उपधारा (ङ) में उल्लेखित "जनपद पंचायत बेमेतरा, जिला बेमेतरा" के स्थान पर "जनपद पंचायत साजा" पढ़ा जावे.

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 11 फरवरी 2020

क्रमांक एफ 7-20/2017/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क (1) एवं (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 28-05-2019 द्वारा सीपत विकास योजना 2031 में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में एक दिन प्रकाशित की गई थी :—

सीपत विकास योजना 2031 में उपांतरण

क्र. (1)	ग्राम का नाम (2)	खसरा क्र. (3)	रकबा (एकड़ में) (4)	विकास योजना में अंगीकृत प्रस्ताव (5)	अधिनियम की धारा 23-क (1) एवं (2) के तहत् उपांतरण (6)
1.	सेलर प.ह.नं. 11/15	1297	95.028 एकड़	कृषि	औद्योगिक (एम.आर.-17, 18 मानचित्र में दर्शित 18 मीटर मार्ग छोड़कर)

2. उक्त उपांतरण उद्योग विभाग को औद्योगिक प्रयोजन हेतु हैं.

3. सूचना में उल्लेखित निश्चित् समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

4. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा सीपत विकास योजना 2031 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण सीपत विकास योजना 2031 का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भोसकर विलास संदिपान, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जांजगीर, दिनांक 23 अप्रैल 2020

क्रमांक 4140/अ-82/20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	परसा प.ह.नं. 09	1.250	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग चांपा संभाग, चांपा जिला-जांजगीर-चांपा.	पोता परसा फगुरम मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. पी. पाठक, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

छ.ग. शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 7-20/2017/32 दिनांक 11.02.2020 एवं छ.ग. राजपत्र दिनांक 8 मई 2020 में प्रकाशित, ग्राम – खेलर (स्वीकृत विकास योजना 2031) खसरा क्र. 1297 रकबा 95.028 एकड़ कृषि से औद्योगिक उपयोग में उपांतरण किया गया।

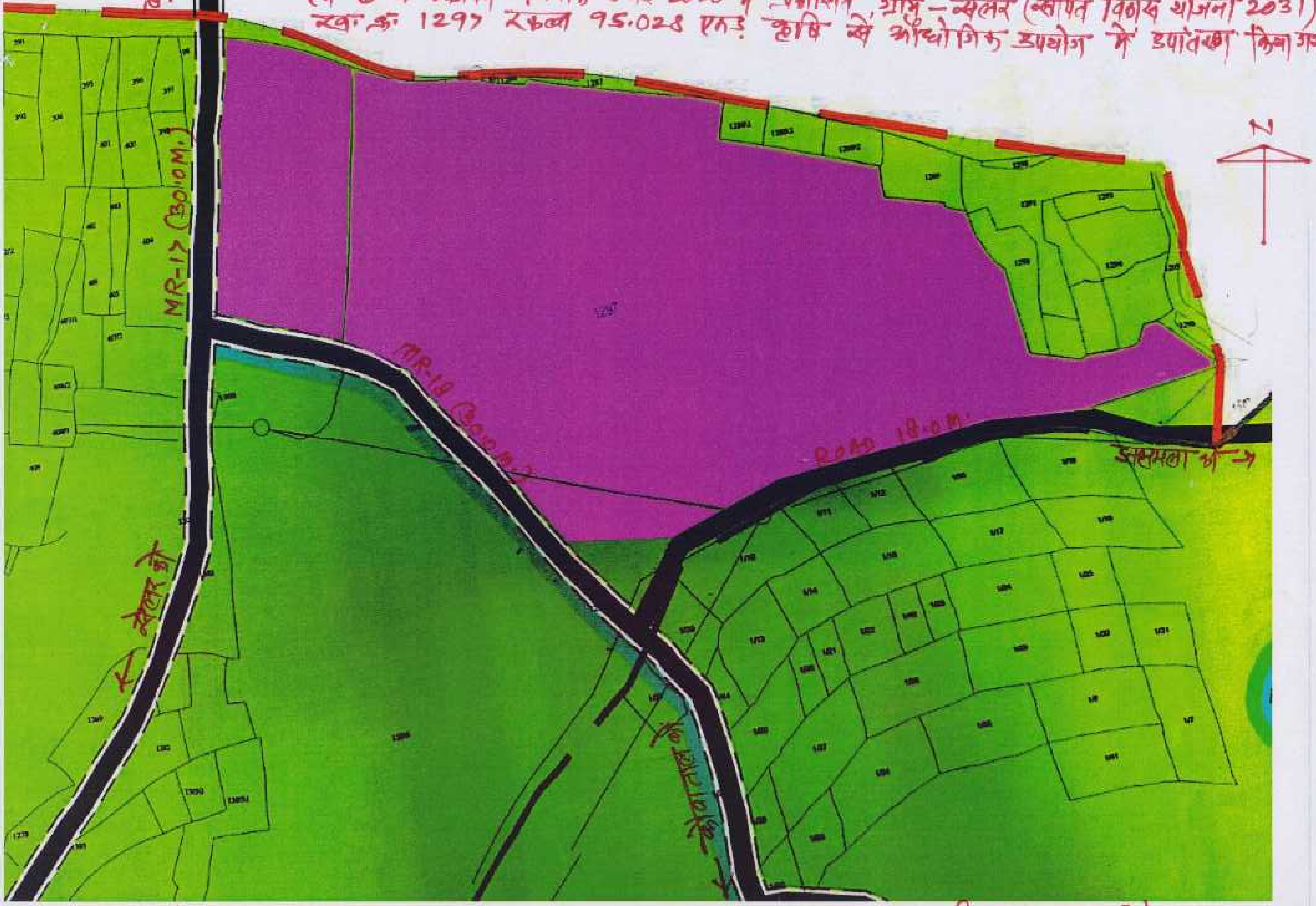

(NOT TO SCALE)